



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक- 22.04.2024

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 128/2024 धारा 380 आईपीसी का सफल अनावरण करते हुए, एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 बकरी व 02 बकरे बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 21.04.2024 को थाना खेकडा पर वादी नबाब पुत्र महबूब निवासी नाला पार धोबी मौहल्ला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि वादी की दो बकरी व दो बकरे वादी के घर से साहिल नाम का लडका चुरा के ले गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 128/2024 धारा 380 भादवि बनाम साहिल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/2024 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 बकरी व 02 बकरे बरामद हुये है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट - मुकदमा उपरोक्त मे बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल उर्फ साहिल पुत्र शमशेर निवासी समाधी वाला रोड ग्राम टटीरी थाना व जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 बकरी व 02 बकरे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 यूटी दिग्विजय सिंह राजपूत थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-का0 24 तरूण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।